

सं.-1/1(1)/2022-पी&पीडबल्यू(ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक: 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन का सहभाजन।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन के संदाय से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(8) के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, कुटुंब पेंशन विधवा या विधुर को मृत्यु की तारीख तक या पुनर्विवाह होने तक, जो भी पहले हो, देय है। यदि मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी एक से अधिक विधवाओं को छोड़ जाता है, विधवाओं को बराबर अंशों में कुटुंब पेंशन का संदाय होगा और विधवा की मृत्यु या अपात्रता होने पर, कुटुंब पेंशन का उसका अंश उसके बच्चे या बच्चों के लिए देय होगा जो कुटुंब पेंशन की मंजूरी हेतु पात्रता शर्तों को पूरा करता है या करते हैं। यदि विधवा का कोई उत्तरजीवी बच्चा नहीं है, तो कुटुंब पेंशन का उसका अंश समाप्त नहीं होगा, किन्तु दूसरी विधवाओं को बराबर अंशों में देय होगा, या यदि केवल एक ही विधवा हो, तो पूर्ण रूप से उसे देय होगा।

3. यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की उत्तरजीवी निःसंतान विधवा हो और
(क) किसी अन्य पत्नी से, जो जीवित नहीं है,
(ख) तलाक़शुदा पत्नी से, या
(ग) किसी अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से
जन्मा पात्र बच्चा या बच्चे हों

तो कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करने वाला बच्चा या बच्चे, कुटुंब पेंशन के अंश का हकदार होगा या होंगे जो माता को उस दशा में मिलता जब वह उस सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु के समय जीवित होती या वह तलाक़शुदा नहीं होती या विवाह अमान्य या अमान्यकरणीय नहीं होता। ऐसे बच्चे या बच्चों को या विधवा या विधवाओं को देय कुटुंब पेंशन

का अंश या अंशों का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश या ऐसे सभी अंश समाप्त नहीं होंगे, किन्तु अन्यथा पात्र अन्य विधवा या विधवाओं और/या अन्य बच्चा या बच्चों को, बराबर अंशों में देय होगा, या केवल एक ही विधवा या बच्चा है, तो पूर्ण रूप से उसे देय होगा।

4. उपरोक्त मामलों में, यदि मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी कुटुंब पेंशन के लिए पात्र बच्चा या बच्चों सहित विधवा को छोड़ जाता है, तो विधवा को देय कुटुंब पेंशन के अंश का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश नियम 50 के अनुसार उसके बच्चे या बच्चों को देय होगा।

5. यदि कुटुंब पेंशन जुड़वां बच्चों को देय हो, तो ऐसे बच्चों को बराबर अंशों में संदेय होगी और जब उनमें से एक की पात्रता समाप्त हो जाए, तो उसका अंश दूसरे बच्चे को देय होगा और जब दोनों की पात्रता समाप्त हो जाए तो कुटुंब पेंशन अगले पात्र एकल बच्चे या जुड़वां बच्चों को देय होगी।

6. नियम 63 के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर, सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति, यदि जीवित हों, तो उसका नाम पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब पेंशनभोगी के रूप में उपदर्शित किया जाएगा। यदि सरकारी कर्मचारी के कुटुंब में एक से अधिक पत्नियां हैं जो जीवित हैं, लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में सभी पत्नियों के नाम के साथ कुटुंब पेंशन में उनके क्रमशः अंश को उपदर्शित करेगा। यदि सरकारी कर्मचारी के कुटुंब में एक पत्नी है जो जीवित है, और अन्य मृतक पत्नी से या तलाक़शुदा पत्नी से अथवा अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मा बच्चा या बच्चे हैं, लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में, कुटुंब पेंशन में केवल उस पत्नी का नाम उसके अंश के साथ उपदर्शित करेगा जो जीवित है। पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, पेंशन संदाय आदेश में उपदर्शित कुटुंब पेंशन का अंश प्रारम्भ में उत्तरजीवी विधवा को संदेय होगा और कार्यालय अध्यक्ष से संसूचना प्राप्त होने पर, लेखा अधिकारी नियम 50 के अनुसार कुटुंब के सभी सदस्य जो पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से कुटुंब पेंशन के पात्र हैं, के नाम और कुटुंब पेंशन में उनके अंश को उपदर्शित करते हुए एक संशोधित पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन के सहभाजन से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

विशाल

(विशाल कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 24644632

सेवा में

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)

F. No. 1/1(1)/2022-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated: 26.10.2022

Office Memorandum

Subject: Sharing of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021

The undersigned is directed to say that Department of Pension has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 deals with payment of family pension on death of a Government servant/pensioner.

2. In accordance with Rule 50(8) of the Central Civil Service (Pension) Rules, 2021, on death of a Government servant/pensioner, family pension is payable to the widow or widower upto the date of death or re-marriage, whichever is earlier. In cases where the deceased Government servant or pensioner is survived by more widows than one, the family pension shall be paid to the widows in equal shares and on the death or ineligibility of a widow, her share of the family pension shall become payable to her child or children who fulfill the eligibility conditions for grant of family pension. In case, the widow is not survived by any child, her share of the family pension shall not lapse but shall be payable to the other widows in equal shares, or if there is only one such other widow, in full, to her.

3. In cases where the deceased Government servant or pensioner is survived by a widow without any child and has also left behind eligible child or children:

- (a) from another wife who is not alive, or
- (b) from a divorced wife, or
- (c) from a void or voidable marriage

the child or children who fulfill the eligibility conditions for grant of family pension shall be entitled to the share of family pension which the mother would have received if she had been alive at the time of the death of the Government servant/pensioner or if she had not been so divorced or if the marriage had not been void or voidable. On the share or shares of family pension payable to such a child or children or to a widow or widows ceasing to be payable, such share or shares shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows and/or to other child or children otherwise eligible), in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child.

4. In the above cases, if the deceased Government servant/pensioner is survived by the widow with child or children eligible for family pension, on the share of family pension payable to the widow ceasing to be payable, such share shall be payable to her child or children in accordance with Rule 50.

5. In cases where family pension is payable to twin children, it shall be paid to such children in equal shares and when one such child ceases to be eligible, his or her share shall revert to the other child and when both of them cease to be eligible the family pension shall be payable to the next eligible single child or twin children.

6. In accordance with Rule 63, on retirement of a Government servant, the name of the spouse of the Government servant, if alive, is indicated as family pensioner in the Pension Payment Order. In cases where family of a Government servant includes more than one wife who is alive, the Accounts Officer shall indicate, in the Pension Payment Order, the names of all the wives with their respective share in the family pension. If family of a Government servant includes a wife, who is alive, and a child or children from a wife who is not alive or from a divorced wife or from a void or voidable marriage, the Accounts

Officer shall indicate, in the Pension Payment Order, only the name of wife who is alive with her share in the family pension, then on death of the pensioner, the share of family pension indicated in the Pension Payment Order shall initially become payable to the surviving widow and on receipt of a communication from the Head of Office, the Accounts Officer shall issue a revised Pension Payment Authority, indicating the names of all the members of family who are eligible for family pension on the date of death of the pensioner with their respective share in the family pension, in accordance with rule 50.

7. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding sharing of family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.



(Vishal Kumar)

Under Secretary to Government of India

Tel: 24644632

To

All Ministries/Departments/Organisations (As per standard list).-